



वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:- 28.07.2022

उपस्थित: 1. श्री सुधीर शर्मा अधिवक्ता वादीगण

2. श्री इन्द्राज सेजु, मनीष कुमार अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 20

—निर्णय—

दिनांक: 20.09.2023

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 38 एच तहसील श्रीकरनपुर की जमाबंदी सम्वत् 2073 ता 2076 के खाता संख्या 34/34 के मु0नं0 13, 33, 48, 50/11 की कुल 4.300 हेक्टेयर भूमि, खाता संख्या 38/38 के मुरब्बा नम्बर 21, 34, 35, 36, 47, 50/10 की कुल 12.155 हेक्टेयर भूमि, खाता संख्या 39/39 के मुरब्बा नम्बर 15, 30 की कुल 1.771 हेक्टेयर भूमि, खाता संख्या 27/27 के मुरब्बा नम्बर 4, 16, 50/7 की कुल 5.931 हेक्टेयर भूमि, खाता संख्या 21/18 के मुरब्बा नम्बर 14, 20, 21, 30, 32, 50/12, 50/13 की कुल 5.829 हेक्टेयर भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त वर्णित आगती का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य काश्त सहूलियत के लिए आपस में मौखिक बंटवारा किया हुआ है। मौखिक बंटवारा अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्सा पर काश्त किए कर रहे हैं। वादाधीन भूमि संयुक्त खाता की भूमि है और भूमि छोटे-छोटे टुकड़ों में बंट चुकी है इस कारण भूमि की काश्त करने, बैंक ऋण प्राप्त करने, सिंचाई करने, गिरदारी व लगान आदि के बाबत व रस्ता के बाबत भारी असुविधा होती है और परेशानी बनी रहती हैं। जब तक संयुक्त खाता की भूमि का विधिवत् रूप से बंटवारा नहीं हो जाता है, तब तक संयुक्त खाता की भूमि का प्रत्येक इंच पर, प्रत्येक सहखातेदार का बहिस्सा बराबर कब्जा माना जाता है। इसलिए इस परेशानी का एक मात्र उपाय यह है कि माननीय न्यायालय में विभाजन का वाद पत्र प्रस्तुत करके संयुक्त खाता की भूमि का विधिवत् बंटवारा करवाया जाकर विभाजन की डिक्री प्राप्त की जावे। इस कारण वादीगण वाद प्रस्तुत करने के अधिकारी हैं। वादीगण दो रोज पूर्व प्रतिवादीगण से मिले व संयुक्त खाता की भूमि का विधिवत् विभाजन करवाने का कहा तो प्रतिवादीगण वादाधीन भूमि का विधिवत् विभाजन करवाने से साफ इन्कार हो गये। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि अतः वादपत्र पेश कर अर्ज है कि वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर घरू बंटवारानामा के मुताबिक खाता व लगान अलग से कायम किए जाने के आदेश दिए जावे।
2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 17, 18/1 ता 18/3, 18/4/1 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। वादीगण अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।
3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादीगण अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते हैं। लिहाजा वादीगण के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि चक 38 एच, पटवार हल्का नग्गी, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 34/34 के मु0नं0 13, 33, 48, 50/11 की कुल 4.300 हेक्टेयर भूमि, खाता संख्या 38/38 के मुरब्बा नम्बर 21, 34, 35, 36, 47, 50/10 की कुल 12.155 हेक्टेयर भूमि, खाता संख्या 39/39 के मुरब्बा नम्बर 15, 30 की कुल 1.771 हेक्टेयर भूमि, खाता संख्या 27/27 के मुरब्बा नम्बर 4, 16, 50/7 की कुल 5.931 हेक्टेयर भूमि, खाता संख्या 21/18 के मुरब्बा नम्बर 14, 20, 21, 30, 32, 50/12, 50/13 की कुल 5.829 हेक्टेयर भूमि में वादीगण के हिस्सा में भूमि आई हुई है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादीगण के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग

अखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीकरणपुर

किया जावे। तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया तहसीलदार श्रीकरणपुर ने प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सामिल मिसल की गई। प्रार्थी बगीचा सिंह की ओर से अधिवक्ता श्री इन्द्राज सेजु ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर बगीचा सिंह को बतौर प्रतिवादी संख्या 20 के रूप में संयोजित किया गया। जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम सामिल मिसल किया गया।

4 बहस अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान अधिवक्तागण ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वादपत्र व प्रतिवादी संख्या 20 का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईशतदुआ की है। बहस अधिवक्तागण व तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद पत्र व प्रतिवादी संख्या 20 का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

5. अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि चक 38 एच, पटवार हल्का नग्गी, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 34/34 के मु0नं0 13, 33, 48, 50/11 की कुल 4.300 हेक्टैयर भूमि, खाता संख्या 38/38 के मुख्या नम्बर 21, 34, 35, 36, 47, 50/10 की कुल 12.155 हेक्टैयर भूमि, खाता संख्या 39/39 के मुख्या नम्बर 15, 30 की कुल 1.771 हेक्टैयर भूमि, खाता संख्या 27/27 के मुख्या नम्बर 4, 16, 50/7 की कुल 5.931 हेक्टैयर भूमि, खाता संख्या 21/18 के मुख्या नम्बर 14, 20, 21, 30, 32, 50/12, 50/13 की कुल 5.829 हेक्टैयर भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान		
राजेश कुमार पुत्र चेताराम जाति जाट निवासी चक 36 एच नग्गी तहसील श्रीकरणपुर। (3.467 हेक्टैयर)	38 एच	33	4/2	0.190 हेक्टैयर	नहरी	1.35		
			7	0.253 हेक्टैयर	नहरी	1.75		
			14	0.253 हेक्टैयर	नहरी	1.75		
			17/1	0.126 हेक्टैयर	नहरी	0.87		
			36	1	0.227 हेक्टैयर	नहरी	1.57	
				2, 9	0.506 हेक्टैयर	नहरी	3.50	
				10	0.227 हेक्टैयर	नहरी	1.57	
				11	0.227 हेक्टैयर	नहरी	1.57	
				12, 19	0.506 हेक्टैयर	नहरी	3.50	
				20	0.227 हेक्टैयर	नहरी	1.57	
				21	0.202 हेक्टैयर	नहरी	1.40	
			21	4/3	22	0.227 हेक्टैयर	नहरी	1.57
					0.114 हेक्टैयर	बारानी		
			50/10		0.181 हेक्टैयर	मै.मु.खा.	0.00	
चेतराम पुत्र गोविन्द राम जाति जाट निवासी चक 36 एच नग्गी तहसील श्रीकरणपुर। (1.212 हेक्टैयर)	38 एच	16	3, 8	0.506 हेक्टैयर	नहरी	3.50		
			13, 18	0.506 हेक्टैयर	नहरी	3.50		
			23/1	0.188 हेक्टैयर	नहरी	1.30		
			50/7	0.012 हेक्टैयर	मै.मु.खा.	0.00		
सादूला राम पुत्र गोविन्द राम जाति जाट निवासी चक 36 एच नग्गी तहसील श्रीकरणपुर। (1.277 हेक्टैयर)	38 एच	30	3/1	0.127 हेक्टैयर	बारानी	0.30		
			3/2	0.126 हेक्टैयर	नहरी	0.87		
			7/1	0.021 हेक्टैयर	बारानी	0.05		
			7/2	0.063 हेक्टैयर	नहरी	0.44		
			8	0.253 हेक्टैयर	नहरी	1.75		
			13/1	0.126 हेक्टैयर	नहरी	0.87		

अपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीकरणपुर

		15	14/1	0.126	हैक्टेयर	नहरी	0.87
		21	9/1	0.169	हैक्टेयर	नहरी	1.17
			4/1	0.013	हैक्टेयर	वारानी	0.03
			23	0.253	हैक्टेयर	वारानी	0.60
योगेश कुमार पुत्र महेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी चक 36 एच नग्गी तहसील श्रीकरणपुर। (4.005 हैक्टेयर)	38 एच	15	7, 8	0.506	हैक्टेयर	नहरी	3.50
			9/2	0.084	हैक्टेयर	नहरी	0.58
			14/1	0.126	हैक्टेयर	नहरी	0.87
		14	15	0.253	हैक्टेयर	नहरी	1.75
			18	0.227	हैक्टेयर	नहरी	1.57
			19,20	0.506	हैक्टेयर	नहरी	3.50
			21	0.227	हैक्टेयर	नहरी	1.57
			22	0.227	हैक्टेयर	नहरी	1.57
		21	23	0.202	हैक्टेयर	नहरी	1.40
			1, 2	0.506	हैक्टेयर	नहरी	3.50
		50/12	9 ता 12	1.012	हैक्टेयर	नहरी	7.00
				0.129	हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00
बगीचा सिंह पुत्र स्वर्ण सिंह जाति जटसिख निवासी 17 ओ ए तहसील श्रीकरणपुर। (0.316 हैक्टेयर)	38 एच	48	4	0.253	हैक्टेयर	नहरी	1.75
			5/1	0.063	हैक्टेयर	नहरी	0.44

खाता एवं रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा नोट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर भी पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद मील जाव्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 20.09.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

